

भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा आध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।</p>	<p>गवालियर जिले में वेरस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गवालियर को उपयोग पर देने की अनुशंसा जाती है।</p>
----	---	--

तिथि:— 30 / 03 / 2022
स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal